राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

कमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021 **जयपुर, दिनांक :** 06 JUL 2023

आदेश

विषयः राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां **CPF/EPF/NPS** लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (**OPS**) लागू करने बाबत।

सन्दर्भः वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023) एवं आदेश दिनांक 17.06.2023।

संदर्भित समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं 17.06.2023 द्वारा राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/ विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिकों हेतु सीपीएफ के विकल्प के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प देने हेतु दी गई सहमति F.No.11/5/2001-IR दिनांक 26–6–2020 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 18–9–2020 के आलोक में तथा वित्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20–4–2023 के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए समसंख्यक आदेश दिनांक 20–4–2023 में निम्न सीमा तक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. **सेवानिवृत्त / मृतक कार्मिक के संबंध में :**

(i) जिन संस्थाओं के कार्मिक सेवानिवृत हो चुके हैं उनके द्वारा CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।

(ii) जिन संस्थाओं के कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के पारिवारिक पेंशन के पात्र सदस्य द्वारा कार्मिक को अथवा उनके परिवार को प्राप्त CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।

(iii) जिन संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा सेवानिवृति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था में ही पुनः निवेशित कर दी गई है या सेवानिवृति के उपरान्त किसी भी कारण से CPF/EPF की राशि संस्था में ही जमा है, तो ऐसे मामलों में राशि का आहरण नहीं करने के कारण सेवानिवृति की तिथि को आधार मानकर सेवानिवृत कार्मिक को सेवानिवृति पर CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी अथवा संस्था स्तर से सीधे ही पेंशन निधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की सहमति से हस्तांतरित की जायेगी।

(iv) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक के वेतन में संशोधन के कारण बाद में नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज के राशि प्राप्त हुई हो अथवा भविष्य में प्राप्त हो, तो उस CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा कराया जायेगा।

(v) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक की CPF/EPF के लिये नियोक्ता अंशदान की किसी भी राशि को यदि किसी अन्य फण्ड / स्कीम यथा पेंशन स्कीम EPS, 1995 आदि में जमा कराया गया है, तो उस अंशदान राशि पर अर्जित ब्याज की गणना 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के आधार पर जमा कराने की तिथि तक करते हुए एक मुश्त राशि पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी।

(vi) जिन कार्मिकों द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार तकनीकी त्यागपत्र दिया जाकर अन्य संस्थान में नवीन पद पर कार्यग्रहण किया है, उनके मामलों में नियमों के अनुसार परीक्षण उपरान्त विकल्प स्वीकार करने के संबंध में प्रचलित पेंशन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(vii) जिन कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु से पूर्व नियमानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की गई है, वह भी इन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. **सेवारत कार्मिक के संबंध में :–**

(i) CPF/EPF का विकल्प देने वाले सेवारत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि यदि संस्था में है, तो यह समस्त CPF/EPF की राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन फण्ड में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी; परन्तु यदि यह राशि CPF/EPF/NPS से संबंधित संस्थाओं में है और विकल्प की निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त नहीं होती है, तो नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज / मूल्य के कार्मिक को स्वयं पेंशन फण्ड में एकमुश्त जमा करानी होगी।

(ii) जिन संस्थाओं द्वारा सेवारत कार्मिकों के नियोक्ता अंशदान को अन्यत्र विनिवेशित है या किसी प्रतिभूति आदि के रूप में जमा है, उन संस्थाओं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के निर्धारित तिथि तक राशि पेंशन निधि में हस्तांतरित करनी होगी; परन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 माह तक का शिथिलन वित्त विभाग की सक्षम अनुमति से दिया जा सकेगा। इस स्थिति में संस्था द्वारा अर्जित ब्याज उस तिथि तक का होगा, जिस तिथि को राशि पेंशन निधि में हस्तान्तरित की जाती है।

3. **अन्य दिशा निर्देश :–**

(i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 भिन्न–भिन्न है और पेंशन परिलाभों की परिभाषा में सिर्फ पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्मिलित होता है। संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि यदि पेंशन विनियम उपरोक्त संदर्भित नियमों के आधार पर अंगीकार किया जाता है या किया गया हो, तो पेंशन निधि में जमा होने वाली संभावित राशि के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं भविष्य की देयताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही तथा आकलन करने के उपरान्त पेंशन रूपान्तरण के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लेवें।

(ii) संस्था में GPF Linked Pension Scheme लागू होने के उपरान्त नियमित वेतनमान में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर GPF Linked Pension Scheme के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

जिन संस्थाओं ने संबंधित से विकल्प पत्र प्राप्त कर लिये है या पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार राशि जमा कर ली है, उन सभी संस्थाओं द्वारा पुनः उपरोक्तानुसार नवीन मार्गदर्शन/संशोधन के संदर्भ से पुनः विकल्प प्राप्त करने होंगे तथा राशि को तदनुसार समायोजित जमा/लौटाने की कार्यवाही करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से भिन्न किसी प्रकार के दिशा निर्देश संस्था द्वारा जारी नहीं किये जायें।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.07.2023 तक बढाई जाती है। यदि दिनांक 31.07.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तो पर दिनांक 16.08.2023 तक जमा कराई जा सकती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(के.के. पाठक)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

कमाकः एफ 4/(1–आर)/एसकेराकृवि/सी/2023/ 410 — दिनांकः 7.7.2023

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक,/क्षे. निदेशक/सह. निदेशक/प्रभारी अधिकारी, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर ....
2. कुलसचिव, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर ।
3. प्रभारी, सिमका को वि.वि. वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं ।
4. कोषाधिकारी, स्वाकेराकृविवि बीकानेर ।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर ।
6. अनुभाग अधिकारी, पेंशन शाखा, स्वाकेराकृविवि, बीकानेर
7. संबंधित व्यक्ति/व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

(बनवारी लाल शर्मा)
वित्त नियंत्रक